

तारीख  
हुक्म

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ( राज. )

83 I

बनाम

श्रीमती खरोज देवी

किस्म मुकदमा

नं. ....

80

सन्

2024

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

इस प्राथी बैंक की बकाया राशि वसूल हो चुकी है।  
लिहाजा प्राथी बैंक का मौजूदा पत्र दिनांक 22-07-  
2024 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी उक्त Infections  
होकर प्राथी का Cause of Action समाप्त हो चुका  
है। अतः मौजूदा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही/  
प्रोसिड किया जाना आवश्यक नहीं होने से उक्त प्रकरण  
दूसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्र वाला  
फैचल शुमार होकर नम्बर से कम होकर

जसमीत सिंह संधू  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा